वनों में अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों तथा वृद्ध/घायल बाघों विषयक मानक व्यवहार पद्धति

(स्टैन्डर्ड आपरेशनल प्रोसेज्योर)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
भारत सरकार
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

वनों में अनाथ/परित्यक्त हुए बाघ शावकों तथा वृद्ध/घायल बाघों विषयक मानक व्यवहार पद्धति

1. **शीर्षक** : वनों में अनाथ/परित्यक्त बाघ–शावकों तथा वृद्ध/घायल बाघों विषयक मानक व्यवहार पद्धति।

2. **विषय** : वनों में अनाथ/ परित्यक्त बाघ–शावकों और वृद्ध/घायल बाघों विषयक स्थिति से निपटना।

3. **संदर्भ** : राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण/प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा इस विषय पर दिया गया परामर्श।

4. **उद्देश्य** : वनों में अनाथ/परित्यक्त बाघ–शावकों तथा वृद्ध/घायल बाघों का चयन/पालन–पोषण सुनिश्चित करना, नैसर्गिक रहवास में अनावश्यक हस्तक्षेप को टालना, यह सुनिश्चित करना कि ऐसे शावक न तो घायल हों और न मरे– इस कार्य में लगे फील्ड–स्टाफ के लिए सुरक्षा निर्देश।

5. **संक्षिप्ति** : यह मानक व्यवहार प्रक्रिया वनों में पाये गये अनाथ/परित्यक्त बाघ–शावकों और/रोगी/घायल बाघों की स्थिति से फील्ड–स्तर (बाघ रिजर्व या अन्य संरक्षण स्थल) पर निपटने के लिये बनाई गई है।

6. **कार्यक्षेत्र** : यह मानक व्यवहार प्रक्रिया समस्त बाघ रिजर्वो तथा ऐसे सभी क्षेत्रों पर लागू होगी जहाँ बाघ हैं।

7. **उत्तरदायित्व** : बाघ रिजर्वों के प्रकरण में क्षेत्र संचालक उत्तरदायी होंगे। संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के लिये संबंधित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अन्य क्षेत्रों (राजस्व भूमि, कन्जर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व/ग्राम एवं नगरीय बस्तियाँ) के लिये वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित वाइल्ड लाइफ वार्डन या उप वन संरक्षक उत्तरदायी होंगे। राज्य–स्तर पर समूचा उत्तरदायित्व संबंधित राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का होगा।

8. वनों में अनाथ/परित्यक्त बाघ–शावकों तथा वृद्ध घायल बाघों विषयक कारण और परिस्थितियाँ

(क) अनाथ/परित्यक्त बाघ–शावक

1. अनाथ या परित्यक्त बाघ–शावकों का मुख्य कारण है उनकी माँ की परस्पर संघर्ष या अवैध शिकार से मृत्यु अथवा अन्य प्राकृतिक कारण
2. पैदायशी अपंग शावक
3. कमजोर शावक
4. घायल/रोगी शावक

//2//

(ख) वृद्ध/घायल/रोगी बाघ

1. वृद्धावस्था और प्राकृतिक ढंग से शिकार में असमर्थता।
2. प्राकृतिक या परस्पर संघर्ष में लगी चोट के कारण अक्षमता।
3. दंत–क्षय के कारण असमर्थता।
4. सेही के कांटो की चोट अथवा अन्य से शिकार न कर पाना।
5. रोगग्रस्त।

9. अनाथ/परित्यक्त बाघ बाघ–शावकों और वृद्ध/घायल बाघों से निपटने के लिए कार्यकारी मैदानी सुझाव :–

i. प्रारंभ में, दैनंदिन आधार पर तकनीकी निर्देश देने और मानीटरिंग करने के लिये निम्नानुसार एक समिति बनायें।

अ) चीफ वाइल्ड लाईफ वार्डन (मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) द्वारा नामित व्यक्ति।

आ) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नामित।

इ) एक पशुचिकित्सक।

ई) स्थानीय एन.जी.ओ. का प्रतिनिधि।

उ) स्थानीय पंचायत का प्रतिनिधि।

ऊ) फील्ड डायरेक्टर/प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजर/प्रभारी वनमण्डलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

ii. चूंकि भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा सदैव सहायता करना संभव नहीं होगा अतः परामर्श दिया जाता है कि दैनंदिन मानिटरिंग के लिए स्थानीय बाहरी विशेषज्ञ को शामिल किया जाये।

iii. बाघों के कैमरा ट्रेप चित्रों के राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय में उपलब्ध ऐसे चित्रों और रिजर्व लेबिल फोटो–डाटाबेस की मदद से तुलना के द्वारा बाघिन, शावक और वृद्ध/घायल/रोगी बाघों की पहचान करके उनके स्त्रोत का पता करें।

iv. संबंधित क्षेत्र पशु/जनहानि या घातक संघर्षों विषयक आंकड़े का संकलन करें।

v. संबंधित वन्यपशु का क्षेत्र–विचरण जानने हेतु ''प्रेशर इम्प्रेशन पैड'' बनायें और उन्हें मानचित्र (4''= 1 मील के स्केल अथवा 1:50000 स्केल) पर दर्शायें।

vi. तीस दिन से अधिक के अनाथ/ परित्यक्त बाघ–शावकों या घायल वृद्ध बाघ के प्रकरण में उन्हें पकड़ने के लिये पिंजड़े या रासायनिक निश्चेतीकरण प्रक्रिया का उपयोग करें।

vii. कंडिका 9 (1) के तहत गठित समिति इन शावक/शावकों का परीक्षण करके निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुशंसा करें :–

क) प्राकृतिक रहवास (in-situ) क्षेत्र में बाड़ा तैयार कर, बाड़े में इन बाघ शावकों का पालन–पोषण किया जाये ताकि उनमें वन्य सहज वृत्तियाँ विकसित हो जाने के पश्चात इन्हें नैसर्गिक वन्य रहवास में छोड़ा जा सके।

ख) वनक्षेत्र में शावकों की ''हार्ड'' रिलीज (बाड़े में लालन–पोषण किये बगैर सीधा प्राकृतिक में छोड़ा जाने)

ग) जू में रखने हेतु इन बाघ–शावकों का उपचार।

घ) घायल/वृद्ध बाघ को जू में रखा जाना।

viii. इस प्रकार की घटनाओं और कार्यवाहियों की कुव्याख्या या गलत समाचार–प्रसारण को रोकने के लिए जरूरी है कि वन विभाग का एक अधिकृत प्रवक्ता आवश्यकतानुसार, समय–समय पर प्रचार–माध्यमों को जानकारी देता रहे। इस प्रकार की घटनाओं का सनसनीकरण या कुप्रचार क्षतिकारक हो सकता है।

एक) इस प्रकार के बाघ–शावकों को जंगल में/छोड़ा जाय या फिर जू में रखा जाय इसका अंतिम निर्णय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करेंगे।

दो) ऐसे पशु पर कोई स्ट्रेस न हो यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त पिंजड़ा तथा परिवहन प्रक्रिया बनाना चाहिये। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट (अ) पर है।

10. कंडिका 9 के अंतर्गत उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विचारणीय बिन्दु

[I] **बाघ शावकों का स्थानीय प्राकृतिक वातावरण में निर्मित बाड़े में पालन–पोषण, ताकि उनमें वन्य सहजवृत्तिका विकास करके प्राकृतिक रहवास में छोड़ा जा सके।**

क) छोड़े जाने के पूर्व पशु चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा यह पुष्टि कर ली जाय कि ये बाघ–शावक स्वस्थ है तथा उसमें कोई अपंगता तो नहीं है।

ख) प्राकृतिक रहवास में बनाये जाने वाले बाड़े के डिजायन विषयक सूचना परिशिष्ट (ब) पर है।

ग) यदि बाघ–शावक बाल–अवस्था में हो तो जब तक वे जंगल में पीछा करने, शिकार करने योग्य न हो जाये तब तक विशेष प्रकार की हाऊसकीपिंग सुविधा विकसित कर उनका पालन–पोषण किया जाये। इसके लिये परिशिष्ट (स) में आवश्यक निर्देश विस्तार से दिये गये हैं। जब शावक शिकार करने योग्य हो जाये तो फिर उन्हें स्थानीय बाड़े के बड़े भाग में स्थानांतरित किया जाये।

घ) ऐसे अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों को, जिनके विषय में यह जानकारी हो कि वे मां के साथ घुमते–फिरते हैं, के शिकार करने हेतु उन्हें बाड़े के ऐसे बड़े भाग में छोड़ा जाय जहां उनका प्राकृतिक शिकार उपलब्ध हो।

ङ) प्रांरभ के दो महीनों में दो शावक इस बाड़े में एक साथ जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें इसी in-situ बाड़े के बड़े भाग में रखें जहां आवरण और शिकार हो।

च) नर और मादा शावकों का पालन पोषण एक ही बाड़े में कभी नहीं करना चाहिए।

छ) इनके पालन–पोषण, शिकार आदि से संबंधित कार्य और उसका अभिलेख एक समर्पित टीम को सौंपना चाहिए। यह टीम तब तक कार्यरत रहे जब तक कि ये शावक प्राकृतिक रहवास में छोड़े जाने लायक न हो जावे।

ज) यह बाड़ा ऐसे स्थान पर हो जहां सामान्य पर्यटकों की गतिविधि न हो और केवल संबंधित स्टाफ ही जाता हो। मानवीय प्रभाव (imprinting) से बचाने के लिये यह अत्यावश्यक है।

झ) बाड़े में प्राकृतिक आवरण, चारा, पानी आदि सुनिश्चित करना चाहिये।

प) बाड़े में खरपतवार उन्मूलन का काम किया जाना चाहिये ताकि पत्ती खाने और चारा चरने वाले दोनों प्रकार के खुरीय वन्यप्राणियों के लिये खाद्य–सामग्री उपलब्ध हो सके।

फ) बाड़े का एक भाग केवल उन्हीं वन्यप्राणियों के बाड़े के अंदर पोषण के लिये छोड़ा जाना चाहिये जो मांसभक्षियों का प्राकृतिक शिकार हैं और जो उस क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावास में पाये जाने वाली स्थानीय प्रजातियाँ हों।

ब) चूंकि मांसभोजी–बहुल बाड़ों में प्राकृतिक रूप से भक्ष्य प्रजातियों की संख्या बढ़ती है अतः उनकी संख्या का समय–समय पर अनुश्रवण/आंकलन करना चाहिये ताकि उसमें इतनी वृद्धि न हो जाये कि वे भोजन–पानी के लिए आपस में प्रतियोगिता करने लगें। यदि अधिक वृद्धि होती है तो उनमें से कुछ को वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है।

भ) बाड़े में यह सुनिश्चित करें कि बाघ बाड़े में शिकार छोड़ते समय ध्वनि विध्न बाधा (दरवाजे खुलने–बंद होने आवाज या कर्मचारियों का शोर आदि) न्यूनतम हो, ताकि ऐसी आवाज या शोरगुल के कारण उनको प्राकृतिक स्वभाव परिवर्तित न होने पाये।

म) बाघ–शावकों द्वारा शिकार का दैनंदिन आलेख विघ्नबाधारहित अनुश्रवण के द्वारा रखा जाय और इस अभिलेख का साप्ताहिक पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

ट) बाड़े में पाले जा रहे बाघों को बाहर से लाकर मांस न दिया जाय–बहुत छोटे बच्चों को छोड़कर जिन पर परिशिष्ट (स) के प्रावधान लागू होते हैं।

ठ) सफलतापूर्वक शिकार करने से सक्षम बाघ–शावकों को रेडियो कॉलर लगाने के पश्चात एन.टी.सी.ए. के परामर्श से, अनुकूल रहवास स्थल जो उसी रहवास स्थल जो उसी भू–दृश्य (Landscaps) में स्थित हो में छोड़ा जाय और ऐसा करते समय उस क्षेत्र में बाघों

की संख्या एवं क्षेत्र में उनका वितरण तथा मानव आबादी की स्थिति पर भी विचार कर लें।

ड) इन बाघ–शावकों की देखभाल में लगे कर्मियों को इनके पास जाने के पहले बाघ–मुखोटे लगाना चाहिए और बाघ–सदृश धारीदार वस्त्र पहनना चाहिए जिन पर बाघ के मल–मूत्र की गंध हो ताकि उन पर भरसक न्यूनतम मानवीय छाप पड़े।

[II] वनों में बाघ–शावकों की ''हार्ड'' रिलीज

i. ये बाघ–शावक तीन–चार साल के हों और खूब स्वस्थ हों।

ii इनमें कोई असामान्यता या अपंगता नहीं होना चाहिए।

iii निश्चेतीकरण के समय इनके खून और ब्लड सीरम के नमूने आगामी विश्लेषण हेतु रख लेना चाहिये।

iv नये स्थान पर छोड़ने के पूर्व इनको रेडियो कॉलर पहना देना चाहिये।

v इन्हें छोड़ने के पूर्व एन.टी.सी.ए.से परामर्श करना चाहिए और उसे निम्नांकित विवरण देना चाहियेः

छोड़े जाने हेतु चयनित रहवास स्थल का विवरण/संरक्षित क्षेत्र का विवरण, प्रेन्वेस उपलब्ध स्थिति, पूर्व से रहवासी बाघों का लैंड टेन्योर की स्थिति, समीपस्थ बस्तियों, वन्यप्राणी संरक्षण की व्यवस्था, क्षेत्र में अवैध शिकार की स्थिति।

[III] जू में बाघ–शावकों का पालन–पोषण

1. समस्त अपंग या घायल बाघ–शावक
2. प्रारंभिक उपचार के बाद मान्यता प्राप्त जू (चिड़ियाघर) में पुनर्वास।

[IV] जू में रोगी/घायल/वृद्ध बाघों का पुनः स्थापना

(i) जिन आरक्षित/संरक्षित वन्य पर्यावासों में प्राकृतिक रूप से मांसभोजी वन्यप्राणी निवासरत हों उनका प्रबंधन इस प्रकार किया जाय, जिसको मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम हो, एवं जिसका समग्र उद्देश्य उस पर्यावास में कल्याणप्रद कारकों की वृद्धि, प्रे–प्रिडेटर संतुलन तथा स्व–प्रजातीय और विभिन्न प्रजातियों के मध्य उपयुक्त सम्पर्क के लिए परिस्थितियाँ पैदा करना हो। नैसर्गिक प्रक्रिया में वृद्ध, अशक्त या रोगी वन्यप्राणीं प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाते हैं एवं सक्षम वन्यप्राणी जीवित रहते है अतः वृद्ध, अशक्त, घायल या अपंग बाघों को प्रबंधन हस्तक्षेप कर भोजन आदि उपलब्ध कराना प्राकृतिक नियमों के विपरीत है एवं यह बाघों की प्रकृति में नैसर्गिक जीवन शैली एवं आपसी सामंजस्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप, जंगल के बाघों को कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की लत लग सकती है। जिसके कारण मानव–वन्यप्राणी टकराव के हालात बन सकते हैं। यदि जंगली बाघों का कृत्रिम भोजन की लत लग गई तो वे मानव या मवेशी–भक्षी बन सकते हैं।

(ii) वृद्ध/अपंग बाघों को दीर्घ जीवन हेतु कृत्रिम भोजन उपलब्ध कराना in-situ (प्राकृतिक रहवास में) वन्यप्राणी संरक्षण के सिद्धांतों के विरूद्ध है अतः ऐसा नहीं होना चाहिए।

(iii) मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों (जू) में वृद्ध/घायल बाघों का पुनर्वास तभी करना चाहिये यदि वे नरभक्षी या मवेशीखौर हो गये हों और स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई हो।

परिशिष्ट–अ

पिंजड़ों का डिजाइन और परिवहन–व्यवस्था

बाघों के लिये परिहन–पिंजड़े

सामान्य विचार

- पिंजड़ों में बाघ के लेटने लायक समुचित स्थान हो मगर घूमने–फिरने, पलटने का नहीं।
- जब ये पशु सामान्य स्थिति में खड़े हों तो इनके अगल–बगल 10से.मी. खुला स्थान हो।
- पिंजड़े की ऊँचाई इतनी हो ताकि बाघ बिना कठिनाई के सीधा खड़ा हो सके, तथा सिर और शरीर फैलाकर लेट सके।
- ठोस काष्ठ या धातु –बोल्ट वाले स्क्रू युक्त ढांचे पर प्लायवुड या फायबर ग्लास या उसके समकक्ष पदार्थ मढ़ा हो।
- मल–मूत्र एकत्रीकरण हेतु फ्लोर के नीचे लिक्विड प्रुफ ट्रे (स्प्लैश प्रूफ) की व्यवस्था हो।
- छत ठोस हो लेकिन हवादार हो।
- मजबूत स्टील छड़ों का दरवाजा हो लेकिन छड़ों के बीच से बाघ अपने पंजे न निकाल सकें। सामने स्लाइडिंग शटर हो जिसमें हवादार छेद हों।
- हवादार छेद निम्नाकित चित्र के अनुरूप होना चाहिये।

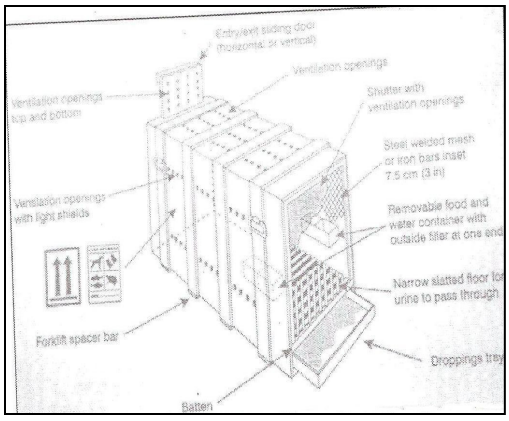

आइ ए.टी.ए. द्वारा बनाये खाके की योजना

संबंधित योजना का पिंजड़ा

विशिष्ट विचारणीय बिन्दु (कंसीडरेशन)

- **बाघ के औसत परिमाप**

  लम्बाई : 140 से 250 से.मी. (पूंछ की लम्बाई 30 से 100 से.मी.)

  ऊँचाई : 60 से.मी.

  वजन : 100 से 300 किलोग्राम

- **परिवहन पिंजड़े के अन्तः परिमाप**

  लम्बाई : 195 से.मी.

  ऊँचाई : 105 से.मी.

  चौड़ाई : 75 से.मी.

- **पिंजड़ें का विवरण**
- दोनों ओर स्लाइडिंग दरवाजे हों।
- फ्रेम एमएस एंगिल 40x40x6 MM
- **साइडें :** एम एस प्लेट 35 एम.ए के सहारे से 12 एम.एम. मोटी प्लायवुड, बाहर से 600 एम. एम. की दूरी पर 4 एम.एम. मोटी और भीतर 3 एम.एम. मोटी लोहे की चादर से ढकी।
- **छत :** 12 एम.एम. वाटर प्रूफ प्लायबुड जो भीतर से 3 एम.एम. लोहे की चादर से ढकी हो।
- **दरवाजे :** 12 एमएम. व्यास एम.एस प्लेनबार, 50 एम.एम. दूरी पर फ्रेम से वेल्ड किया जाय और 5 एम.एम. प्लायवुड से ढका हो। दरवाजे खोलने बंद करने के लिये बोल्ट और चेन।
- **वेन्टीलेशन :** उपरोक्त चित्र में दर्शाये अनुसार छेद
- **फ्लोर :** एम.एस. प्लेट 35 एम.एम.x4एम.एम.पर 19 एम.एम. मोटी प्लायबुड जो 350 एम.एम. की दूरी पर हो। फ्लोर 2 एम.एम. लोहे की चादर से ढका हो। फ्लोर में 20 एम.एम. व्यास के छेद हों। यह सम्पूर्ण पिंजड़ा 50x50 एम.एम. लोहे की खूंटियों पर टिका होना चाहिए।
- **मलमूत्र के लिये ट्रे :** मल–मूत्र के निकास हेतु लोहे की खूंटियों के बीच 25 एम.एम. गहरी दो ट्रे हों।
- **खाना–पानी :** खाना–पानी देने के लिए एक तरफ 100x100 एम.एम. का छोटा सा दरवाजा हो।

- **साइड हेंडिल :** 150 एम.एम. के 12एम.एम. व्यास वाले चार स्टील रिंग (हर तरफ दो–दो) जिन्हें मध्यबिन्दु पर चार लंबायमान भरवाहियों पर फिक्स करें। इनसे दोनों काम हो सकेंगे – इन्हें क्रेन से उठाया जा सकेगा और दूसरे पिंजड़े में भेजते समय उससे जोड़ा जा सकेगा।

बाघों के परिवहन का नवाचार (प्रोटोकाल)

ध्यान देने योग्य विचारणीय बिन्दु

- परिवहन की समस्त प्रक्रिया एक ऐसे पशुचिकित्सक की देखरेख में की जाये जो बाघ की शरीर–संरचना एवं शरीर क्रियाविज्ञान से पूर्णतः परिचित होने के साथ–साथ राज्य या केन्द्र की भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में बाकायदा पंजीबद्ध हो। बेहतर होगा यदि ऐसे पशुचिकित्सक को लाया जाये जिसे बाघ विषयक कामों का पूर्व अनुभव हो।
- बाघ को बंद क्रेटों/पिंजड़ों में ले जाया जाय ओर इनमें वेन्टीलेशन की उपयुक्त व्यवस्था हो ताकि उन पर परिवहन के दौरान पर्यावरण का प्रभाव न हो। इससे विघ्न–बाधा रहित परिवहन होगा और बाघ शांत रहेगा।
- परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले पिंजड़े/क्रेट/वाहन को भली–भांति साफ (Sanitize) कर लेना चाहिये।
- चूंकि जाड़े के दिनों में तापमान और नमी कम रहते हैं अतः इस मौसम को बाघ के परिवहन के लिये प्राथमिकता देना चाहिये। मगर रोगी और घायल पशुओं के मामले में जब भी आवश्यक हो, परिवहन किया जाना चाहिये।
- यदि यात्रा के लिये बाघ को बेहोश या निश्चेत करना है तो यह काम बाघ की शरीर–संरचना एवं शरीर क्रिया के जानकार कुशल पशु चिकित्सक की प्रत्यक्ष देख–रेख में होना चाहियें। उक्त चिकित्सक को औषधि के प्रभाव का ज्ञान हो।
- यदि बाघ परिवहन के दौरान बीमार या घायल हो जाता है तो उसका त्वरित उपचार कुशल पुशचिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिये।
- यद्यपि बाघ विभिन्न तापमानों के उतार–चढ़ाव को बर्दास्त कर सकते हैं, किंतु यात्रा के पूर्व मूलस्थान तथा नये रहवास स्थल के पर्यावरणीय और तापमान संबंधी विषमताओं की जानकारी जरूरी है।
- परिवहन के दौरान बाघ के शरीर से मानव सम्पर्क न हो यह ध्यान रखना अनिवार्य है।
- सभी प्रकार के संक्रमण और रोग–प्रसार के प्रति सचेत रहने हेतु बाघ के मल–मूत्र, बर्तनों, भूसे आदि का निवर्तन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
- परिवहन के दौरान पिंजड़े को तारपोलिन या प्लास्टिक शीट से न ढकें ताकि हवा की आवाजाही होती रहे।
- पिंजड़ों/क्रेटों को रखने–उठाने की पर्याप्त व्यवस्था हेन्डिल आदि देकर करना चाहिये, ताकि एक तो पिंजड़े डाबांडोल न हों ताकि उन्हें उठाने, रखने के दौरान यह कार्य कर रहे कर्मियों का सम्पर्क बाघ के शरीर से न होने पाये।

- भोजन–पानी देने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले बर्तनों को रखने एवं निकालने की उचित एवं खतरा–रहित व्यवस्था होनी चाहिए।
- बाघ की लोडिंग तथा अनलोडिंग सामान्यता दिन में करें।
- यथासंभव युवा बाघों को अकेले न ले जायें बल्कि निकट ही उस प्रजाति का एक अन्य बाघ भी रखें।
- परिवहन के समय बाघ को पेयजल उपलब्ध कराना भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है। यात्रा के दो घंटे पहले पानी दें और फिर मंजिल पर पहुंचने के बाद भी दें। जरूरत से ज्यादा भोजन न दें।
- पशु को हर बारह घंटे में पानी दें और फिर यात्रा 30 मिनिट के लिये रोंके ताकि पानी पच जाये।
- प्रौढ़ बाघ को 24 घंटे में तथा युवा को 12 घंटे में भोजन दें। प्रारंभ में भोजन कम कर दें, ताकि उसे यात्रा के पहले भोजन दिया जा सके। मंजिल पर पंहुचने के 04 घंटे के भीतर भोजन दिया जाये।
- बाघ– परिवहन के समय भोजन–पानी के संबंध में स्पष्ट निर्देश विशेष रूप से देना चाहिए।
- परिवहन के केज/क्रेट को परिवहन वाहन पर लोड करते समय यह ध्यान रखें कि बाघ का सिर यात्रा की दिशा में हो ताकि उस पर परिवहन के दौरान न्यूनतम मानसिक दबाव निर्मित हो।
- परिवहन सीधे रास्ते से करें और यथासंभव रात में करें ताकि उसे व्यवधान रहित वातावरण मिल सके।
- यात्रा के पूर्व समस्त आवश्यक दस्तावेज, पत्राचार तथा संबंधित प्राधिकरण की अनुमति आदि तैयार रखें।

<u>विशिष्ट अभिसंधान</u>

- **पशु का चयन**
  - ✓ परिवहन किये जाने वाले बाघ स्वस्थ हों।
  - ✓ वृद्ध नरों तथा गर्भवती, दूध पिलाने वाली या समागम–उत्सुक मादाओं का परिवहन यथासंभव न करें।
  - ✓ बेहतर होगा यदि वयस्क (एडल्ट) और सब–एडल्ट का परिवहन ही करें। वयस्क बाघों का परिवहन प्रजनन कॉल के बाद ही करें।
  - ✓ छोटे बच्चे अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते अतः उनके साथ आवश्यक प्रशिक्षित कुशल व्यक्ति भेजें।

- ✓ रोगी और घायल बाघों के मामले में निर्णय उनका स्वास्थ्य की स्थिति तथा संबंधित चिकित्सीय जरूरतों का आंकलन कर लें।

- **मार्किंग**
  - ✓ परिवहन किये जाने वाले बाघों मार्किंग फोटोग्राफिक केप्चर से करें ताकि उनके प्राकृतिक चिन्हों का अभिलेख रहे।
  - ✓ यदि संसाधन उपलब्ध है तो मायक्रोचिप भी लगायें।

- **पकड़ना और स्वास्थ्य–परीक्षण**

  भौतिक अथवा रासायनिक विधि से पकड़े गये बाघों का स्वास्थ्य परीक्षण खून का विश्लेषण और सिरोलॉजिकल के मानकों पर एवं विभिन्न रोगों के लिए करें क्योंकि यदि बाघ किसी भी रोग से ग्रसित है तो रोग का प्रसार अन्य वन्यप्राणियों/मनुष्यों में भी हो सकता है।

यात्रा मार्ग से भिज्ञता : परिवहन करने वाली टीम को यात्रा–मार्ग की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये। उन्हें रास्ते में जहां रूकना है उसकी अग्रिम जानकारी जरूरी है।

अभिलेख रखना : परिवहन किये जा रहे बाघ से संबंधित सभी अभिलेखों का संकलन करके उसकी कई प्रतियाँ करावें ताकि वे सर्व संबंधितों के पास उपलब्ध रहे।

- बाघ के साथ जा रहे पशु चिकित्सक के पास सभी प्रकार की औषधियाँ और आवश्यक उपकरण होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर विपरीत परिस्थितियों से निपटा जा सके।
- परिवहन करने से पहले सभी आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
- सर्व संबंधितों के साथ प्रक्रिया अनुसार संपर्क होना चाहिए।

संदर्भ

1. **2012** : वन्यप्राणियों के परिवहन हेतु प्रोटोकाल, सेन्ट्रल फार अथॉरिटी, भारत
2. **1998** : अंतर्राष्ट्रीय वायुसेवा परिवहन संघ, लाइव एनिमल रेग्यूलेशन 25वां संस्करण
3. ''ए मैनुअल फार ट्रांसपोर्ट केजेज एण्ड नेस्ट बाक्सेज'' सिंह डी.एन., मल्होत्रा, के. नेशनल जूलाजिकल पार्क, नई दिल्ली।

परिशिष्ट–**ब**

प्राकृतिक रहवास में बनाये जाने वाले बाड़ों की डिजाइन और संबंधित विवरण

1. चयन स्थल : बाड़े के निर्माण हेतु स्थल चयन करते समय निम्नांकित बिन्दु विचारणीय हैं :–

अ) इसे मानवीय गतिविधियों तथा पर्यटन क्षेत्र से दूर होना चाहिए ताकि वहां जैविक विघ्न–बाधा न हो। पर्यटन–मार्ग किसी भी हालत में इस बाड़े के आस–पास भी नहीं होना चाहिए।

आ) यह बाड़ा किसी जल–स्त्रोत के समीप होना चाहिये ताकि उसके भीतर निर्मित कृत्रिम वाटर होल्स समय–समय पर साफ करके पुनः भरे जा सकें, तथा बाघों के रहने हेतु बनाये गये क्यूबिकल्स की स्वच्छता भी सुनिश्चित की जा सके।

इ) चयनित स्थल में स्थानीय भौतिक स्थिति, रहवास स्थल एवं टोपोग्राफी के अंश अवश्य होना चाहिए एवं स्थानीय शाकाहारी वन्यजीवों के आवास एवं भोजन के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

ई) यद्यपि यह स्थल थोड़ा अलग–थलग हो किन्तु वहां जरूरत के वक्त मोटर वाहनों की पहुंच होना चाहिए।

उ) इस बाड़े की परिसीमा का चयन इस प्रकार करें, ताकि समीपस्थ विशाल वृक्षों से भरसक इसका मॉनीटरिंग किया जा सके। इससे खर्चीले वॉच टावर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाघ के लिये अधिक वन्य पर्यावास उपलब्ध होने से उसका अनुकूलन हो सकेगा। यदि वॉच टावर बनाना ही पड़े तो उसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री से ही बनायें:– लट्ठों, बांस आदि से जो कि स्थानीय परिवेश में घुलमिल जायें।

2. बाड़े का आकार : इस स्थानीय बाड़े का आकार इतना हो ताकि उसमें दो बाघ रखे जा सकें, क्योंकि अनाथ बाघ–शावक सामान्यतः एक ही लिटर (Litter) के होते हैं। व्यवहारिक अनुभव बताता है कि यदि स्थल–चयन इन मानकों के आधार पर होता है तो 50 हेक्टेयर, जैसा कि नीचे बताया गया है, ऐसे दो अर्ध वयस्क बाघों के लिये काफी होगा, जो कि वयस्क बनने वाले हैं।

3. बाड़े की डिजाइन : यथासंभव इस बाड़े को गोलाकर बनायें। अप्राकृतिक कोने न रखे जायें।

(i) दो संकेन्द्रीय गोलाकार प्लाट हों जिनका इनर सर्किल 10–15 हेक्टेयर और आउट/सर्किल 30–35 हेक्टेयर हो। इनर प्लाट में बाघ रखा जायेगा जबकि आउटर में सर्किल में भक्ष्य शाकाहारी वन्यप्राणी रखे जायेंगे।

(ii) इनरसर्किल ऐसा हो जिसमें बाहरी मांस भोजी वन्यप्राणी प्रवेश न पा सकें। इसे चारों तरफ से स्थानीय रूप से उपलब्ध हरियाली या 6 फुट ऊँची घास से ढंक दें ताकि अंदर से बाहर का और बाहर से अंदर का न दिखे।

अ:) अंदर के प्लाट में एंगिल आयरन पोल्स धरातल से 15 फुट ऊपर ऊंचा रखा जायेगा, ऊपर और प्रत्येक पोल 10 फुट के अंतराल पर होगा प्रत्येक पोल का ऊपरी भाग भीतर की

तरफ निकला रहेगा ताकि बाघ बाहर न जा सके। बाहर के प्लाट में एंगिल बाहर की ओर निकला रहेगा ताकि मांसभोजी पशु बाड़े में प्रवेश कर शाक भोजियों का शिकार न कर सके।

(क) उपरोक्तानुसार चेनलिंक का उपयोग एंगिल पोस्टों से पेरीमीटर को जोड़े रखने के लिये किया जायेगा। पोल्स का मुड़ा हुआ हिस्सा चार स्ट्रेन्ड के बार्बड वायर से बद किया जायेगा।

(ख) पन्द्रह फुट चौड़े चार दरवाजे एक–दूसरे के व्यासाभिमुख सामने रहेंगे ताकि अंदरूनी प्लाट में बाघ के लिये प्रोटोकॉल के अनुसार शिकार छोड़ा जा सके। ये दरवाजे वायर मेश टनेल के रूप में बनाये जायेंगे एवं दोनों और से स्लाइडिंग होंगे तथा इन्हें स्थानीय वनस्पतियों से ढंक कर भली–भांति छिपा दिया जायेगा। दरवाजों के कार्य करने का तरीका आगे समझा गया है।

(ग) बाहरी और भीतरी दोनों प्लाटों में इतना बड़ा दरवाजा लगाया जायेगा जिसमें से हाथी एवं ट्रक गुजर सके।

(घ) बाहरी प्लाट में शिकार को व्यवस्थित करने के लिये दो दरवाजे होंगे। जैसे ही पर्याप्त शिकार को अंदर आकर्षित कर लिया जायेगा वैसे ही ये द्वारा बंद कर दिये जायेंगे।

4. **पार्टीशन प्रक्रिया** : इसे नीचे चित्र (स्केल के अनुसार नहीं है) में समझाया गया है।

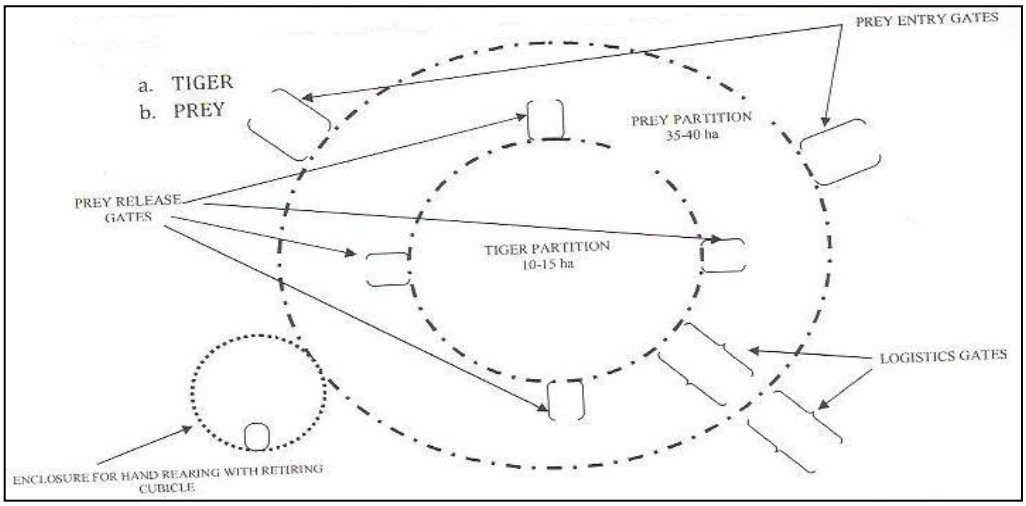

5. **शिकार को बाघ के बाड़े में छोड़ना** : यथासंभव भक्ष्य शाकाहारी वन्यप्राणियों को बाघ के बाड़े में अनियमित रूप से छोड़ा जायेगा एवं बाघ के द्वारा कितने दिन पूर्व शिकार किया गया है, इस पर निर्भर करेगा, अर्थ यह है कि बाघ प्राकृतिक परिवेश में जितने अंतराल पर शिकार करता है वैसी परिस्थितियाँ निर्मित होनी चाहिए ध्यान रहे कि बाघ ने कब शिकार किया। उसके बाद अनियमित ढंग से शिकार छोड़ा जाये।

(अ) बाड़े के भीतर शिकार के स्वास्थ्य की मॉनीटरिंग की जाय। उन्हें समय–समय पर पुनः जंगल में छोड़ा जाय ताकि बाहरी बाड़े में रहवास का क्षरण न होने पाये एवं साथ ही ये शाकभोजी वन्यप्राणी भूखे न रहें।

(ब) मांसभोजी वन्यप्राणी के बाड़े में इन्हें छोड़ते समय यह सावधानी रखें कि ये आसानी से बाहरी बाड़े से मांसभोजी वन्यप्राणी बाड़े में पहुंचाये जा सकें।

(स) इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि बाघ में पेवलोवियन रिफलेक्स विकसित न हो। अर्थात किसी नियत समय या नियमित अंतराल पर ही खाना ग्रहण करने का आदि न होने पाये। इसलिये भोजन देने हेतु कोई नियमित समय नहीं होना चाहिये। इसे अनियतिक ढंग से करें और शोर, कम से कम हो। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि सारी ध्वनियाँ वन्य पर्यावरण की रिकार्डेड ध्वनियों से दब जाये। ध्यान रहे कि जब बाघ को शिकर न भी दिया जा रहा हो, तब भी यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी ध्वनियों के कारण बाघ में प्रतिक्रियात्मक कंडीशंड रिफलेक्सेस विकसित न हों।

6. **गृहावेक्षण (हाऊसकीपिंग) :–**

1. गृहावेक्षण की व्यवस्था ऐसी करें जिससे कि बाघ पर मानवीय गतिविधियों की छाप न पड़ने पाये।
2. कर्मचारी सदैव ध्यान रखे कि दोनों बाड़ों की फेंसिंग दुरूस्त रहे, इसलिए पेरीमीटर की नियमित मानिटरिंग होनी चाहिए।
3. किसी भी बाड़े में कोई बाहरी सामग्री नहीं आने देना है।
4. प्राकृतिक वातावरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से गृहावेक्षण कम से कम किया जाय।
5. ध्वनि को कम करने और बाघ में पेवलोवियन रिफलेक्स विकसित न होने देने के उद्देश्य से टनेल दरवाजों का स्लाइडिंग मेकेनिज्म सही रखने के लिये नियमित देखभाल की जाना चाहिए।

7. **रहवास रख–रखाव :–**

(i) बाहरी एवं अंदरूनी बाड़ों में किसी भी तरह आग नहीं लगना चाहिये। इस उद्देश्य से गर्मियों के पहले सभी प्रकार का खर–पतवार, सूखे पत्ते साफ करना होगा।

(ii) बाड़े के शाकभोजी वन्यप्राणियों वाले भाग में हल चालन के बाद स्थानीय घास प्रजातियों का रोपण करके घास–प्रबंधन किया जाये।

(iii) विदेशी खरपतवारों यथा लेन्टाना, यूपेटोरियम, माइकेनिया आदि की समय–समय पर सफाई की जाना चाहिए।

(iv) विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में कृत्रिम वाटर होल की नियमित सफाई और पुनः भरण सुनिश्चित करें।

(v) बाहरी प्लाट में शाकाहारी वन्यप्राणियों के लिए रोटेशनल चराई की व्यवस्था करें, ताकि समस्त घास एक साथ ही अत्याधिक चराई के कारण समाप्त न हो।

8. **संरक्षण/ निगरानीः–**

(i) जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है बाघ और भक्ष्य–वन्यप्राणियों की गतिविधियों का अवलोकन करने तथा रहवास स्थल का अनुश्रवण करते रहने के लिए मुख्य स्थानों पर मचान बनायें।

(ii) पर्यवेक्षकों को वन्यप्राणियों के सामान्य व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे किसी भी असामान्य व्यवहार को तुरंत पहचान सकें। साथ ही उनमें शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, खान–पान, चाल–ढाल आदि की भली–भांति जानकारी होनी चाहिए।

(iii) कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आस–पास कोई मवेशी तथा पालतू/आवारा कुत्ते भी न हों।

(iv) कर्मचारीगण वन्यपशुओं के व्यवहार–आचरण विषयक अवलोकन अभिलेख निर्दिष्ट प्रपत्र में दर्ज करेंगे।

(v) महत्वपूर्ण घटनाओं एवं परिस्थितियों की सूचना देने के लिये वनकर्मियों के पास वायरलेस सेट होना चाहिए।

(vi) जिन क्षेत्रों बहुधा आग लगती हो या बाढ़ आना हो उनका विशेष ध्यान रखा जाय क्योंकि ऐसी एक भी दुर्घटना बाड़े के पशुओं को भीषण क्षति पहुंचा सकती है।

(vii) कोई भी पर्यटक का पर्यटक–वाहन आस–पास फटकने न दिया जाय।

(viii) मौके के स्थानों पर मॉनीटरिंग हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जा सकते हैं।

9. **दैनंदिन मानीटरनः–**

क. वन्यजीवों की शारीरिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति, चाल–ढाल, खान–पान, विषयक जानकारी हेतु सुपरिभाषित प्रपत्र बनाये जायें।

ख. पर्यावास में होने वाली प्रत्येक अवांछनीय विघ्न–बाधा का अभिलेख रखें।

ग. शिकार छोड़ने का समय, पर्यावास हस्तक्षेप तथा अन्य किसी भी कार्यवाही का समय बाकायदा दर्ज किया जाय और इसका दैनंदिन चार्ट बनायें।

10. (i) **स्वास्थ्य–परिचर्या :** स्थानीय भक्ष्य प्रजातियों की शारीरिक स्थिति आदि का विवरण रखने के लिए प्रपत्र (हेल्थ मानिटरिंग कार्ड) अनुभवी पुशचिकित्सक या भारतीय वन्यजीव संस्थान से परामर्श

करके बनाया जाये। यह अभिलेख ऐसा हो ताकि इसके अवलोकन से बाड़े में रखे गये वन्यप्राणियों की स्थिति तुरंत ज्ञात हो सके।

(ii) पशुओं के मल और मलत्याग के समय रोजाना विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि यदि इसमें अंतर होता है तो यह किसी संक्रमण का पूर्वाभाष दे सकता है। यदि डायरिया दिखे तो मल वहां से तुरंत हटा दें तथा उस स्थान पर ब्लीचिंग करके मिट्टी डालें ताकि पशुओं पर कोई कुप्रभाव न पड़े।

(iii) बाड़े में परजीवियों की स्थिति जानने हेतु मांसभोजी और शाकभोजी पशुओं का मल–परीक्षण सावधि किया जाये।

(iv) श्वसन तंत्र तथा आमाशय–विकार संबंधी रोग जानने हेतु पशुओं के मुखरन्ध्र का नियमित अवलोकन किया जाये।

(v) बीमार वन्यप्राणियों की पहचान करके उन्हें बाड़े से हटाया जाय ताकि अन्य वन्यप्राणियों को संक्रमण से बचाया जा सके।

(vi) **अभिलेख रखना :–** निम्नांकित अभिलेख रखे जाये और उनका समग्र निरीक्षण रेन्ज आफिसर द्वारा किया जाय। सहायक वन संरक्षक, उप संचालक या क्षेत्र संचालक जब भी दौरे पर जायं तो उन्हें भी इन अभिलेखों का औचक निरीक्षण करना चाहिये। यह काम हर महीने होना चाहिये।

(क) वन्यप्राणियों के शारीरिक स्थिति से स्वास्थ्य का आंकलन

(ख) स्थास्थ्य विषयक अभिलेख एवं उपचार संबंधी अभिलेख

(ग) पर्यावास हस्तक्षेप पंजी

(घ) दैनिक गतिविधि पंजी

(ङ) भोजन देने की व्यवस्था/एवं भक्ष्य वन्यप्राणियों को बाघ के बाड़े में छोड़ जाने से संबंधित अभिलेख।

(च) रख–रखाव गतिविधि पंजी

(छ) रिपोर्टिंग/वायरलेस पंजी

परिशिष्ट–स

परित्यक्त/अनाथ नवजात बाघ–शावकों के पालन–पोषण हेतु गृह परिचर्या

(1) **हाऊसिंग व्यवस्था एवं स्थल चयन :–**

(क) हाऊसिंग, क्यूबिकल इन–सीटू बाड़े अथवा बाघ के रिलीज स्थल के यथासंभव समीप होना चाहिए ताकि पाले जा रहे बाघ/बाघों का स्थानीय प्राकृतिक परिवेश में सामांज्यस्य हो सके।

(ख) बेहतर होगा कि हाऊसिंग, स्लाइडिंग या ऊपर से नीचे की ओर बंद होने वाले दरवाजों जैसे पर्याप्त सुरक्षा साधनों सहित, रिटायरिंग/क्यूबिकल के रूप में, बाड़े का ही भाग हो। शावक जैसे–जैसे बड़े होंगे, यह व्यवस्था देख–रेख करने वाले की सुरक्षा हेतु जरूरी है। रिटायरिंग क्यूबिकल का प्रवेश द्वार स्थानीय बाड़े के छोटे हिस्से को पार्टीशन कर बनाया जाना चाहिए ताकि शावक/शावकों के बड़े हो जाने पर इन्हें बाड़े के बड़े भाग में छोड़ना हो तो यह द्वार हटाया जा सके।

(ग) रिटायरिंग क्यूबिकल का आकार केन्द्रीय जू प्राधिकरण (सीजेडए) द्वारा दिये गये माप से दुगना होना चाहिये क्योंकि शावकों का पालन गहनता से लगभग चार महीने तक करना होगाः 5.5x3.6x3 मी. (आइ.बी.एच.)। रिटायरिंग क्यूबिकल में एक स्क्वीज चेम्बर भी होना चाहिये ताकि ऐसे शावकों को जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उस चेम्बर में डालकर उपचार किया जा सके।

(घ) प्रिफेब्रिकेटेड सामग्री के बारे में सोचा जाय ताकि जैसे ही बाघ–शावक को स्थानीय बाड़े में छोड़ा जाना है वैसे ही उसे हटाया जा सके।

(ङ) इस स्थल में जल की पर्याप्त व्यवस्था हो–वहां काफी ग्राउंड वाटर हो या फिर जल स्त्रोत के समीप हो–क्योंकि परिसर की देखरेख के लिये काफी पानी की जरूरत होगी।

(2) **भोजन देना :**

(क) भोजन देने के पहले शावकों का वजन लेना चाहिये। शरीर भार का देसांश दूध देना होगा। इसे सम मात्रा में धीरे–धीरे पांच बार देना चाहियें।

(ख) गाय का ताजा दूध या मिल्क पाउडर न दें। मिल्क पाउडर से डायरिया हो सकता है। यदि उपलब्ध हो तो बकरी या कुत्तिया का दूध उपयुक्त होगा।

(ग) शर्करा–घोल न दें क्योंकि विडाल–परिवार ग्लूकोज की अधिक मात्रा हज़म नहीं कर पाता।

(घ) बोतल से दूध पिलाते समय शावक को चारों पैरों पर खड़ा होने दें और उसका तिर कोण बनायें ताकि दूध उसके फेंफडों में न चला जाय। दूध पिलाते समय निपल को जीभ के ऊपर रखें।

(ङ) दुग्ध प्रतिस्थापकों (मिल्क रिप्लेसर) विडाल–दुग्ध काफी अनुरूपता रखते हैं अतः इसे निम्नांकित विधि से तैयार करें:–

1. 20 ग्राम स्किम मिल्क पाउडर।
2. 90 मिलीलीटर कुनकने पानी में मिलायें।
3. उसमें 30 ग्राम अंडें की जर्दी (एग योक) मिलायें।

(च) उपरोक्त मिल्क रिप्लेसर/बकरी का दूध को देने की विधि इस प्रकार होगीः संक्रमण–निरोध हेतु सेप्टरन एंटीबायोटिक सीरप मिला दें। इसे अधिक मात्रा में न मिलायें, क्योंकि वह उन अच्छे मायक्रोबों को मार देगा जो पाचन हेतु जरूरी है। दूध में ग्राइपवाटर के साथ मल्टी–विटामिन सीरप मिला सकते हैं जो पाचन में सहायक होगा।

समयावधि	देय भोजन
45 दिन तक	उपरोक्त सप्लीमेन्टल के साथ बकरी का दूध
45 से 60 दिन	दिन में दो बार बकरी के दूध के बदले चिकन सूप दें। यदि यह विधि असफल रहे तो चिकन सूप और बकरी का दूध मिलाकर दें।
60 दिन तक	धीरे–धीरे बकरी के दूध के स्थान पर चिकन सूप दें।
61वें दिन के बाद	पूरी तरह से उबाले हुये चिकन–टुकड़े भोजन में शामिल रहें।
75वें दिन	चिकन के सूप के स्थान पर धीरे–धीरे पूरी तरह उबाले गये चिकन–टुकड़े हड्डी सहित दें।
75 से 90 दिन तक	पूरी तरह उबाली चिकन हड्डी सहित।
90 से 105 दिन तक	पूरी तरह उबाली चिकिन के स्थान पर हाफ उबला चिकन दें।
105 से 120 दिन	अर्ध उबाली चिकन के बदले धीरे–धीरे साबित चिकन देना शुरू करें।
120 से 150 दिन	कच्ची चिकन के साथ उमला बीफ सूप दें। इसके स्थान पर धीरे–धीरे पूरी तरह उबाले बीफ–पीस, फिर अर्ध उबाले और फिर कच्चे बीफ–पीस देना शुरू करें।
छठवें महीने के बाद	भोजन में कच्चा मांस और चिकन दें।

(छ) बाड़े के भाग में जीवित शिकार रखें ताकि बाघ–शावक उसका पीछा करके शिकार करना सीख सके।

(3) **स्वास्थ्य परिचर्चा** :

क) भोजन के तुरंत बाद शावकों की मल–मूत्रेन्दियों को गीले कपड़े से सदृष्य कर उन्हें मल–मूत्र त्याग के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। यह तरीका 12–14 सप्ताह तक जारी रखें, जब तक कि शावक स्वयं मल–मूत्र त्याग करने लगें।

ख) यदि डायरिया हो जाय तो दूध/दूध के प्रतिस्थापक को ओ.आर.एस. मिलाकर पतला करें तथा 8 से 12 घंटे तक भोजन में 30प्रतिशत की कमी कर दें। पेथोजेनिक वेक्टीरिया का संदेह हो तो मल–परीक्षण करवा लें।

ग) यदि डायरिया ज्यादा और लगातार हो तो शावकों को 12 से 18 घंटे तक मुंह से कुछ भी न दें और उन्हें सब–क्यूटेनियस फ्लूईड पर रखें फिर धीरे धीरे मुख से इलेक्ट्रोलाइट दें। इसके बाद डायल्यूट तरल फार्मूला। सामन्य भोजन 12 से 24 घंटे बाद ही दें।

घ) टीकाकरण निम्नांकित विधि के अनुसार करें:

i) 75 दिन/10 सप्ताह/2 महीने/केनाइन परवोवायरस, केनाइन डिसटेम्र, हेपेटाइटिस, तीन महीने बाद बूस्टर

ii) तीन महीने रैबीज वैक्सीन।

iii) पांच महीने फलिवैक्स (फेलाइन पेनल्यूकोपेनिया और फेलाइन इनफेक्शंस राईनो ट्रे काइटिस)

ङ) यदि बुखार, सुस्ती, मांसपेशियों में सूजन आदि के गंभीर लक्षण दिखाई दें तो यह ट्रिप्नोसोमिआसिस नामक रोग हो सकता है, जिसका इलाज तुरंत होना चाहिये । एक वर्ष की आयु में ट्राइवैक्स नाम रोगनिरोधी वेक्सीन (प्रोफाइलेक्टिक) देना चाहिये मगर ध्यान रहे कि यदि इन्ट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे तो एबसिस हो सकते हैं, अतः वैक्सीन सबक्यूटेनिमस ही देना चाहिए।

च) बाघ–शावकों के पेट के कीड़ों की सफाई (डि–वर्मिंग) प्रति तीन मास में होना चाहिये।

छ) निम्नांकित मानकों को अवलोकन प्रतिदिन करना होगाः हृदय गति, श्वसन, मुख और नाक का म्यूकोसा, थुथनी की नमी, मल–मूत्र विसर्जन आदि।

ज) पशु की सूरत–शक्ल, चाल–ढाल, बैठने–लेटने के तरीके (रिकम्बेन्सी) आदि का अवलोकन ध्यान से किया जाय।

(4) **<u>बाड़े के प्राकृतिक भाग में स्थानांतर</u>** :

अ) सामान्य परिस्थितियों में एक बाघ–शावक नैसर्गिक रूप से शिकार करके जीने की कला सीखने के लिये दो से ढाई साल तक अपनी माँ के साथ रहता है।

आ) मगर एक अनाथ शावक के मामले में जिसे कि मानवीय हाथों से पाला गया है और जिसका बोतल–दूध 12 से 16 हफ्तों में छुड़ाया गया है उसके हाल–चाल देखने के बाद उसे 24 से 15 सप्ताहों में उपरोक्त सीमित बाड़े में छोड़ा जा सकता है।

इ) फिर दो से ढ़ाई साल बाद उसे बाड़े के बड़े एवं पूर्णतः जंगली भाग में छोड़ा जाय ताकि वह वन्य–पर्यावास से तालमेल बैठा सके।

(5) **<u>संरक्षण/देखरेखः</u>**

(i) देख–रेख करने वाले कर्मियों को बाघ के व्यवहार के बारे में जरूरी बातों की जानकारी होना चाहिए ताकि वह उसके तेवरों और चाल–ढाल से किसी असामान्यता का पता लगा सके। इसी प्रकार भोजन देने की निर्धारित प्रक्रिया एवं सिद्धांतों का तथा उससे संबंधित बातों की जानकारी भी उसे देना चाहिए।

(ii) क्षेत्र की संवेदनशीलता के अनुरूप 02 चौकीदार एन्क्लोजर में बारी–बारी से देख–रेख करने के लिए रखना चाहिये और इसी के साथ उचित संख्या में वनकर्मी भी रखे जायें।

(iii) उन्हें ऊपर उल्लेखित स्वास्थ्य–संकेतकों का अवलोकन एवं आंकलन करना चाहिये।

(iv) वे सम्पूर्ण परिसर को साफ रखेंगे तथा दिन भर में थोड़ी–थोड़ी देर से पशु के व्यवहार पर नजर रखें।

(v) देखरेख करने वाले पालकों को पोषण चार्ट रखना चाहिये तथा दैनंदिन आब्सजरवेशन चार्ट भी रखना चाहिये।

(vi) उन्हें क्यूबिकल की समग्र सुरक्षा का ध्यान रखना होगा ताकि विषैले सरीसृप अंदर आकर पशुओं को हानि न पहुंचा सकें।

(vii) यद्यपि बाड़ा एकदम जंगल के अंदर बनाया जायगा जहां कि मानवीय विघ्न–बाधा बिलकुल न हो मगर फिर भी कर्मियों को नज़र रखनी होगी कि आवारा मवेशी या कुत्ते बाड़े के अंदर न घुस पाये।

(viii) मॉनीटरिंग हेतु मुख्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाये जा सकते हैं।

(6) **क्यूबिकल्स एवं परिसर की स्वच्छता एवं देखभाल**

अ. इस क्षेत्र को साफ रखा जाय और बाघ शावकों की आवक के पूर्व पचास प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर घोल डाल कर स्वच्छ किया जाये।

आ. रोजाना यह करने के बाद उसे पानी से धोया जाय ताकि ब्लीच के कारण त्वचा पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया न हो।

इ. प्रवेश द्वार के बाहर एक छोटा फुट–बॉथ बनाकर उसमें ब्लीच या पोटाशियम परमैगनेट का घाल भर कर रखें।

ई. दरवाजों, सांकलों, जंजीरों आदि पर नियमित रूप से संक्रमण रोधी स्प्रे का छिड़काव किया जाय।

उ. बाघ शावकों की देखरेख करने वाला एक ही कर्मी हो जो शावकों को छूने के पहले अपने हाथ पूरी तरह साफ करे।

ऊ बाड़े में मल–मूत्र का कोई भी अवशेष नहीं रहना चाहिये, ताकि कॉलीफार्म संक्रमण कारक रोगों से बचाव हो सके। मक्खियां ऐसे रोगों की संवाहक है।

अं. बाघ–शावकों अथवा उनकी देखरेख करने वाले कर्मियों के संपर्क में जो भी वस्तु या सामग्री आई हो–यथा बर्तन, कपड़े भूसा आदि–उसे प्रतिदिन धोया जाय और साफ किया जाय तथा संक्रमण रोधी नाशक घोलों में डुबाया जाय और उसके बाद साफ पानी से घोया जाय ताकि रसायनों का कोई कुप्रभाव न पड़ें।

अः. बाड़े के अंदर जाने के लिए कपड़े रखें (जिनका रंग बाघ के पीले–काली धारीदार पैटर्न का हो) और उन्हें ओटोक्लेव के जरियें संक्रमण रहित किया जाय। यहां के कर्मी जो कपड़े बाहर पहनते हों उन्हें उन्हीं कपड़ों में अंदर आने की अनुमति कभी न दी जाय।

परिशिष्ट–**द**

फील्ड स्टाफ के लिये रक्षोपाय

फील्ड स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मूलतः दो सिद्धांत हैः–

1. कर्मचारियों का निम्नांकित संकटों से बचावः एजर्लीकारक, संक्रमण, जूनोटिक, बीमारियाँ (जानवरों से मनुष्य में आती हैं। भौतिक संकट (यथा कटना, जला, ध्वनि, रसायनिक संकट आदि)
2. मनुष्य संसर्ग से वन्यप्राणियों में संक्रमण की रोकथाम
   - **व्यक्तिगत संरक्षणात्मक उपकरण एवं संसाधनों का उपयोग** : इसमें निम्नांकित शामिल हैः अपारगम्य दस्ताने जिनमें नमी न जा सके, औषधियुक्त साबुन प्रवाहमान जल में हाथ नियमित रूप से भली–भांति धोयें। यह काम दस्ताने पहनने के पूर्व किया जाय।
   - संक्रमणरहित गमबूट जिन्हें बाड़े के बाहर न उतारा जाय। पशु के कक्ष में जाते समय भी इन्हें संक्रमण रहित करें। यदि बाहरी जूतों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें संक्रमणरहित प्लास्टिक कवर से ढंके।
   - औषधि देने या शल्यक्रिया करने के समय पारदर्शी प्लास्टिक चश्मों का उपयोग करें ताकि आंख के जरिये संक्रमण न हो।
   - बाघ हेतु भोजन बनाते समय सिर पर कागज या प्लास्टिक की टोपी पहनें।
   - पशु की देखरेख करने वालों को बाघ के चमड़े जैसी वर्दी दो–तीन जोड़े दी जाय। इसे बाहर न ले जायें और इसे ऑटोक्लेव से सावधि संक्रमणरहित करें।
   - बाघ शावकों के साथ काम करते समय ऐसे दस्ताने पहने जिन पर काटने का प्रभाव न हो।

व्यक्तिगत स्वच्छता

- बाघ शावकों की देखभाल करने वाला प्रत्येक कर्मी शौच के बाद अपने हाथ साबुन से भली भांति धोये।
- बाघ शावकों के पास किसी को भी खुले में शौच की अनुमति न हो। यदि शौचालय सुविधा नहीं है तो रवंती खोद कर ढंके और ब्लीच करें।
- बाघ के साथ काम करने वालों के नाखून कटे हुये हो।
- ऐसे कर्मी स्वयं को छह माह में एक बार डिवर्म करें।
- बाड़े का सारा कूड़ा–कचरा या तो जला दें या फिर दफ़ना कर उस पर ब्लीचिंग पाउडर डालें।
- हर छठे महीने समस्त कर्मचारियों का निम्नांकित बीमारियों (जूनोसिस) के लिये चैकअप होना चाहिये :–
  - टयुबरक्यूलोसिस

- एनथ्रेक्स
- ब्रुसेलोसिस
- टोक्सोप्लाज्मोसिस
- लेपटासप्यरोसिस
- फंगल संक्रमण विशेषकर त्वचा पर

- बाड़े के प्रबंधन हेतु कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का स्वास्थ्य–पत्रक बनाया जाय जिसमें रक्ताधारित और सीरमाधारित मानकों का अभिलेख उपरोक्त परीक्षणों सहित किया जाये।
- बाघ–शावकों को बाहर निकल कर भागने से रोकने के लिये दरवाजे आदि सावधानी पूर्वक बंद करें।
- समस्त आवश्यक गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल की सूची (चेक–लिस्ट) कर्मचारियों के पास होना चाहिये और संबंधित कर्मियों के द्वारा स्वयं की तथा बाघ–शावकों की सुरक्षा हेतु इसका कड़ाई से पालन होने चाहिए।

परिशिष्ट–य

पथनिर्देशात्मक टिप्पणियाँ

1. **अभ्यस्तीकरण :**

अभ्यस्तीकरण सीखने की प्रक्रिया है जिससे पशु यह सीखते हैं कि जो उद्दीपन हानिरहित या परिणाम रहित सिद्ध हो चुके हैं उन पर प्रतिक्रिया न दें। यह एक सामान्य व्यवहार है जो पर्यावासों तथा वन्यप्राणियों के विभिन्न प्रजातियों के आपसी संबंधों के चयन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, उदाहरणार्थ जब किसी वन्यप्राणी को नये पर्यावरण में रखा जाता है तो वह भयभीत हो सकता है किन्तु यदि वह अपने पर्यावरण का अभयस्त हो जाता है तब भय का तत्व समाप्त हो जायेगा। यदि यह अभ्यस्तीकरण से इसे कोई खतरा महसूस न हो तो उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। अतः बाघ–शावकों के प्राकृतिक परिवेश में पालन–पोषण के दौरान उनका मानव से प्रगाढ़ परिचय उनमें ऐसी प्रवृत्तियाँ पैदा कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप उनका ''वन्यीकरण'' किया जाना कठिन हो सकता है।

2. **अनुकूलन**

यह वन्यप्राणियों का ऐसा व्यवहार है जो वह अपने अनुभवों से सीखता है यह लोभ–लालच–सहित दिये गये उद्दीपन से जुड़ी है। यदि संबंधित उद्दीपन एक पुरस्कार जैसे अनुभव से जुड़ा है तो उसका परिणाम ''सकारात्मक प्रबलन'' होता है। यदि इसी उद्दीपन का परिणाम उस पशु के लिये पीड़ाजनक हो तो नकारात्मक प्रबलन हो जाता है अतः प्राकृतिक परिवेश में पालन–पोषण के दौरान यदि द्वार आदि खोलने की आवाज या वाहन की ध्वनि को वह भोजन से जोड़ कर अनुभव करता है तब ऐसे बाघ का वन्यीकरण करना कठिन होगा।

3. **क्रिटिकल डिस्टेन्स (वन्यीकरण/पुनःवन्यीकरण)**

क्रिटिकल डिस्टेन्स वह न्यूनतम दूरी है। जो एक वन्यपशु किसी अपरिचित जीव अथवा वस्तु से सहन कर सकता है। यदि इस दूरी का उल्लंघन किया जाता है तो वन्यपशु या तो भाग जायगा या फिर हमला कर देगा। पालतू मवेशियों और मानव के बीच ऐसी नाजुक–दूरी का अस्तित्व नहीं है। किन्तु प्राकृतिक परिवेश में बनाये गये बाड़े में पाले जाने वाले बाघ–शावकों के प्रसंग में इस नाजुक दूरी को बनाये रखना निहायत जरूरी है और इसके लिये उन्हें मानव से एकदम अलग रखा जाये। मानीटरिंग भी विघ्न–बाधा रहित हो।

4. **इंप्रीटिंग (छाप अथवा प्रभाव)**

यह ऐसी समझ है जिसे एक पशु अपने बचपन के दिनों से वस्तु विशेष अथवा जीव के साथ लगातार सम्पर्क के कारण लगाव महसूस करने लगता है। प्रभाव डालने या छाप छोड़ने यानी

इंप्रीटिंग कुछ घंटों या फिर कुछ हफ्तों की भी हो सकती है। जन्म के बाद इस लगाव में कितना समय (क्रिटिकल टाइम) लगेगा। अतः बाघ शावकों के वन्यीकरण (वाइलडिंग) की प्रक्रिया में यह सावधानी बरतने की नितांत आवश्यकता है कि मुनष्य के लगातार संसर्ग से बाघ शावक में मनुष्य संसर्ग की आदत न पड़े।

———000———